

2022/186

प्रपत्र-8

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, रामपुरा

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प रामपुरा

प्रशासन जागीर के संगे कृषिग्राम 2021

-:आदेश:-

89
2022

207
30-6-22

रामपुरा

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी जालेकला व भूअनि. हरीशचन्द्र की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रामपुरा/नायब तहसीलदार रामपुरा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान ग-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम जालेकला तहसील रामपुरा व जिला जालेकला की जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में खाता संख्या 59,257 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	जालेकला	59,257	बाबूलाल उत जालेकला	बाबूलाल उत जवाहरलाल उत जालेकला (शेख इस्लामथावर)

(पीठासीन अधिकारी)
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर रामपुरा

क्रमांक :- 209-209

दिनांक :- 30/6/22

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार रामपुरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री जवाहरलाल - जालेकला
3. रक्षित पत्रावली। को सूचनार्थ।

30/6

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर,
रामपुरा जिला